

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरु
पीठासीन अधिकारी- श्री मूलचन्द लूणियां, आर.ए.एस

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी मलसीसर व भू.अ. नि. सुजानगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 71 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या (नया)	वर्तमान (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मलसीसर	71	देवीलाल पुत्र गोविन्दराम उर्फ गोमदा	देबुराम पुत्र गोविन्दराम

राहिन की प्रविष्टि (अगर कोई हो तो) यथावत रहेगी।



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)

क्रमांक- राजस्व/2023/

दिनांक

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)